

2023/17

2023/17

फर्द अहकाम  
(नियम 15)

कार्यालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर जिला हनुमानगढ  
लीलावती आदि बनाम महावीर आदि  
वाद अन्तर्गत धारा 88,53,188 आर.टी.एक्ट प्रकरण संख्या 289 वर्ष 2023

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामिल में जारी हुये
16.10.2023	वादीगण द्वारा यह वाद पत्र जरिये वकील पेश किया गया। बाद कार्यालय टिप्पणी के वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सामान्य व रजिस्टर्ड सम्मन से तत्व किया जाकर पत्रावली आईन्दा दिनांक 09.11.2023 को पेश हो	
9.11.2023	<p>वकील केशवकन उपस्थित/PU माह 2023</p> <p>पत्रावली पेश की गयी।</p> <p>गस्त 2023 दिनांक 28/11/2023 को पेश हो</p>	
20.11.2023	<p>वकील केशवकन उपस्थित/PU माह 2023</p> <p>पत्रावली पेश की गयी।</p> <p>गस्त 2023 दिनांक 27.11.2023 को पेश हो</p>	
29.11.2023	<p>वकील केशवकन उपस्थित/PU माह 2023</p> <p>पत्रावली पेश की गयी।</p> <p>गस्त 2023 दिनांक 28.11.2023 को पेश हो</p>	
20.3.2024	<p>वकील केशवकन उपस्थित/PU माह 2023</p> <p>पत्रावली पेश की गयी।</p> <p>गस्त 2023 दिनांक 20.3.2024 को पेश हो</p>	
31.5.2024	<p>वकील केशवकन उपस्थित/PU माह 2023</p> <p>पत्रावली पेश की गयी।</p> <p>गस्त 2023 दिनांक 31.5.2024 को पेश हो</p>	
03.11.2024	<p>पत्रावली पेश की गयी। अहील वही उपस्थित नहीं। अहील वही व वही सम्मन को जाट-कर धारा लगाते छि भी दाखिल नहीं। वाद वही कडम पेशी व कडम हाजरी में दाखिल किया जाता है। पत्रावली नम्बर के कम की जाकर 315 तारीख तक मिल जायता दाखिल करके हो</p>	